

पम्प

23/11/2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
अमराराम पुत्र बौदुराम जाट निवासी सिद्धीमाल	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 161/2021 GCMS No. 2021/80

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

23.11.2021


वादी श्री अमराराम पुत्र बौदुराम जाति जाट निवासी सिद्धीमाल द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पलाड़ा में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2075-78 ग्राम सिद्धीमाल पटवार मण्डल पलाड़ा के खाता नम्बर 49 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि अमराराम पुत्र बौदुराम दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम अमराराम पुत्र बौदुराम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 272846884979 आधार नम्बर 272846884979 मतदाता पहचान पत्र - अन्य दस्तावेज - की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी पलाड़ा भू.अ.नि. माडाकरा एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

710-712


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

